न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 82/2019 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2019/00088)

पंचमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तिहईयापुरा शहपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 10.09.2018

उपस्थितिः—

1. श्री गोपाल शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 27.09.2022

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 20.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 734 दिनांक 10.02.2017 में अपीलान्ट के विरूद्ध दायर आपराधिक मुकदमों का जिक्र करते हुये आवेदक/अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 के जरिये अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त करने में भारी भूल की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से

27.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जिन मुकदमों का हवाला देकर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, वो समस्त मुकदमे शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/80 से पूर्व के मुकदमे है जिनमें अपीलान्ट को वरी किया जा चुका है। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होने के बाद अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र कई बार निरन्तर नियमानुसार नवीनीकृत हो चुका है। पूर्व दायर और निर्णित प्रकरणों के आधार पर तहत अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये विधि विरूद्ध तरीके से संभावना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। इसके अलावा प्रकरण संख्या 18/80 न तो अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है और न ही इस तरह की पुष्टि किसी रिकार्ड से हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनी प्रावधानों के विपरीत है इसलिए काबिले मंसूखी है। अपीलान्ट का उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों का विवरण अपने प्रार्थना पत्र में देना आवश्यक नहीं था क्योंकि उक्त सभी मुकदमे अनुज्ञापत्र जारी होनें के पूर्व के हैं तथा इनमें वरी किया जा चुका है। इसके अलावा मात्र शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना के आधार पर किसी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। इसलिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2018 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट एक सद्चरित्र सामाजिक व्यक्ति है और अपीलान्ट का चरित्र पाकसाफ है बाबजूद इसके बिना किसी ठोस कारण के अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र खारिज किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है तथा बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 24.07.2019 को जब अपीलान्ट तहत न्यायालय में अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र के संबध में जानकारी करने आया तब उसे अपीलाधीन आज्ञा की जानकारी हुई। इस पर अपीलान्ट ने नकल के लिये आवेदन किया नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गयी है। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने के लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि रैस्पों0 की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जबाव ही पेश किया गया है और न ही अपीलान्ट की ओर प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया कि चूंकि अदालत मातहत का निर्णय संभावनाओं के आधार पर बिना स्वविवेक का उपयोग किये पारित किया गया है, जो कि विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने के निर्देश दिये जावे। रैस्पों0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.09.18 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से दिनांक 06.08.2019 को अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील के मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु का निर्णय पहले किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.07.2019 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आने पर होने व जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है व इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाव ही प्रस्तुत किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि मियाद संबंधी बिन्दु पर उदाररूख रखा जाना चाहिये तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये। वरन् प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के बाद भी निर्णय पारित किया जाना चाहिये। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर के समक्ष उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 2/80 का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 20.12.16 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पत्र दिनांक 26.12.2016 के द्वारा 5 बिन्दुओं के संबंध में रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखा गया जिसमें आवेदक द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग किये जाने, आवेदक की आपराधिक पृष्ठ भूमि, आवेदक का चालचलन, नवीनीकरण किये जाने बाबत् अभिमत, शस्त्र के भौतिक निरीक्षण की रिपोर्ट भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया। इसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से पत्र दिनांक 10.02.2017 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर को इस आशय की रिपोर्ट भिजवायी गयी कि आवेदक द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवेदक की उपरोक्त अवधि में आपराधिक पृष्ठ भूमि मिल रही है। पूर्व में आवेदक के विरूद्ध तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं। आवेदक का चालचलन सही रहा है। आवेदक के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की सिफारिश नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक ने पत्र के अन्त में यह उल्लेख किया कि आवेदक की आपराधिक पृष्ठ भूमि को देखते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी है। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट आवेदक को शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस क्रमांक 988–89 दिनांक 08.03.17 को विधिवत नोटिस जारी किया गया जिसमें आचरण संबंधी शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के संबंध में तथ्यों को छुपाये जाने का उल्लेख करते हुये 7 दिवस में जवाव पेश करने की अपेक्षा की गयी। अपीलान्ट/आवेदक ने दिनांक 18.09.2017 को उक्त नोटिस का जबाव इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में फैसला हो चुका है तथा उसे दोषमुक्त कर दिया गया है तथा एक प्रकरण संख्या 68/80 में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है इसलिए दिये गये नोटिस को निरस्त कर शस्त्र अनुज्ञापत्र का आगे नवीनीकरण किये जाने का आदेश दिया जावे। अपीलान्ट/आवेदक की ओर से जबाव प्रस्तुत होने पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पुनः पत्र दिनांक 16.10.17 के द्वारा आवेदक का जबाव संलग्न कर, जबाव में अंकित बिन्दुओं पर टिप्पणी व अनुज्ञापत्र नवीनीकरण बाबत् अभिशंषा भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। इस पत्र के प्रतिउत्तर में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा पत्र दिनांक 04.12.2017 में यह उल्लेख किया कि आवेदक द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध गत 5 वर्ष से कोई आपराधिक रिकार्ड दर्ज नहीं है, आवेदक का चालचलन अच्छा होने की गवाहान ने ताईद की है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण करने की अभिशंषा नही किये जाने का उल्लेख करते हुये शस्त्र वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी थाने में जमा नहीं कराये जाने का उल्लेख करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा पुनः पत्र दिनांक 28.06.2018 के द्वारा पुलिस अधीक्षक से आवेदक/अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र दिनांक 02.08.2018 में थानाधिकारी मनियां व वृत्ताधिकारी मनियां की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/आवेदक के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 को पारित किया है जिसमें शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उसके विरूद्ध दर्ज अभियोगों का इन्द्राज नहीं किया जाना अर्थात् आपराधिक तथ्यों को छिपाये जाने को शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों के आचरणों को संदिग्ध मानते हुये संदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति को शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं होना माना है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में आवेदक/अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा का उल्लेख कर आवेदक की संदिग्ध भूमिका से इन्कार नहीं किये जा सकने के आधार पर पूर्व में अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने, लोकहित में अपीलान्ट/आवेदक के अनुज्ञापत्र संख्या 2/80 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। इस प्रकार विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुये पुलिस अधीक्षक धौलपुर से 3 बार प्राप्त हुई रिपोर्ट जिसमें अपीलान्ट के

27.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी है, को आधार मानते हुये उक्त आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के तथ्य को शपथ पत्र में छिपाये जाने के कारण आवेदक का आचरण संदिग्ध है तथा संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अनुज्ञापत्रधारी का आपराधिक प्रकरण होने के कारण उसके द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ती बनाये रखने हेतु, लोकहित में शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है क्योंकि आवेदक/अपीलान्ट का यह दायित्व था कि वह नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में सही तथ्य अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा भी अपीलान्ट/आवेदक के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने की बार-बार अभिशंषा की गयी है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट/आवेदक के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का पारित किया गया है, उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर